सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 08, बुधवार, शाके 1943-दिसम्बर 29, 2021 *Pausa 08, Wednesday , Saka 1943- December 29, 2021*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

आदेश

जयपुर, सितम्बर 21, 2021

संख्या प.2(**च**)(322)/**जांच**/**डीएलबी**/2021/2424 :-श्री दिलीप कुमार परमार, सदस्य वार्ड नं. 03 एवं अध्यक्ष, नगर पालिका, परतापुर-गढ़ी जिला बांसवाड़ा के विरूद्व दो से अधिक सन्तान होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (1) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक जांच करायी गई। जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार श्री दिलीप कुमार परमार के दिनांक 27.11.1995 के पश्चात् दो से अधिक तीन संतान होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा श्री दिलीप कुमार परमार के विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। श्री दिलीप कुमार परमार, सदस्य वार्ड नं. 03 एवं अध्यक्ष, नगर पालिका, परतापुर-गढ़ी के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की सम्भावना है।

अत: श्री दिलीप कुमार परमार, सदस्य वार्ड नं. 03 एवं अध्यक्ष, नगर पालिका, परतापुर-गढ़ी के विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (1)(ग)(घ)(V) एवं धारा 24 के खण्ड (xvii) के तहत आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने के कारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 43 (10) के क्रम में धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा श्री दिलीप कुमार परमार, सदस्य वार्ड नं. 03 एवं अध्यक्ष, नगर पालिका, परतापुर-गढ़ी को न्यायिक जांच समाप्ति तथा अन्तिम आदेश पारित होने तक के लिए वर्तमान नगर पालिका, परतापुर-गढ़ी की सदस्यता व अध्यक्ष पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

दीपक नन्दी,

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

3649

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।